# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 128 / 2025 / बाड़मेर**

| **अपीलांट** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| डूंगराराम पुत्र नानगाराम उम्र बालिग निवासी रामदेव मंदिर, चाडार मदरूप तहसील रामसर जिला बाड़मेर। | 1. गंगाराम पुत्र नानगाराम<br>2. श्रीमती गेनू पत्नी चौखाराम<br>3. जेराराम पुत्र नानगाराम<br>4. नेनू देवी पत्नी मूलाराम<br>5. नरसिंगाराम पुत्र चौखाराम<br>6. लक्ष्मण राम पुत्र मूलाराम<br>7. सताराम पुत्र मूलाराम<br>8. हुकमाराम पुत्र चौखाराम<br>9. देऊ देवी पत्नी लक्ष्मण राम समस्त उम्र बालिग, निवासी रामदेव मंदिर, चाडार मदरूप तहसील रामसर, जिला बाड़मेर।<br>10. श्रीमान तहसीलदार रामसर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 19 / 2024 बअनवान गंगाराम वगैरह बनाम डूंगराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.04.2024 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी उतरदाता संख्या 01,02 व 04 लगायत 09 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः—18.07.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा रामेदव मंदिर, पटवार सर्किल चाडार मदरूप, भू अभिलेख निरीक्षक रामसर, तहसील रामसर जिला बाड़मेर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खोतदारी खेत खसरा संख्या 29 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 59 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा संख्या 30 रकबा 36.3996 हैक्टेयर, खसरा संख्या 487 / 60 रकबा 37.0772 हैक्टेयर आराजी आई हुई है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बहिस्सा कब्जा काश्त है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा—काश्त (ढाणी, टांका, पशुबाड़े इत्यादि) काबिज हैं। वर्तमान में जमीन की कीमतों में वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1(अपीलार्थी) वादीगण (प्रत्यर्थीगण) के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करता है तथा वादीगण के कब्जे

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में वादीगण (प्रत्यर्थीगण) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। अपीलांट बीमार लकवाग्रस्त, अनपढ़, काश्त पेशा व्यक्ति है। वादी/उत्तरदातागण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर बाले बाले हम अपीलांट की बिना जानकारी के ही अपीलांट के कब्जा काश्त रहवासीय ढाणी, तारबंदी युक्त बेशकीमती भूमि को हड़प करने का उपक्रम किया गया है। अपीलांट के खसरा संख्या 59 गैर मुमकिन ढाणी को अन्य पक्षकारा को हस्तातंरित कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर रास्ता नहीं होने को लेकर आपति पेश की गई जिस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार रामसर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था लेकिन तहसीलदार रामसर द्वारा अपने अधिकार हल्का पटवार चाडार मद्रूप को अंतरित किये गए। जिस पर दिनांक 20.12.2024 को हल्का पटवारी द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। नियमावली अनुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की सहमति से मुर्तिब किया जाना उल्लेखित है जबकि प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करना/उज्र ऐतराज करना अंकित है। उक्तानुसार पटवारी हल्का स्वयं द्वारा ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये जिसमें अपीलांट के कब्जे काश्त यथा टाणी, टांके, पशु बाड़ा का ध्यान नही रखा गया और अपीलार्थी के भू–भाग में रेतीला धोरा में आवागमन हेतु सुलभ रास्ता नहीं दिया गया,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिससे अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया प्रतीत होता है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की विभाजन प्रस्ताव नियमावली में वर्णित नियम 18 से 21 की पालना का अभाव है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2021(1) Page 469

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार रामसर के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। उक्त प्रस्ताव टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। वादी शंकर के कोई पुत्र नहीं होने से उसके खातेदारी अधिकारी की भूमि को हड़प करने की नियत से हस्तगत अपील के जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपीलांट द्वारा चुनौती दी गई। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा पढ सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का अंकन है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा पढ सुनकर व समझ कर हस्ताक्षर करने से इनकार करने का अंकन है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तक्षार के संबंध में किये गये कथन में कोई सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से संतुष्ट हैं। अपीलांट की आपत्तियों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उसके पश्चात स्वीकारोक्ति से मुकर जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार रामसर के आदेशानुसार मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 24.12.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार रामसर के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार रासमर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2024 बअनवान गंगाराम वगैरह बनाम डूंगराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 09.07.2025 को यथावत रखा जाता हैं।

18/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर